उत्तर प्रदेश शासन
कार्मिक अनुभाग-4
संख्या-10/2020/382/सामान्य-का-4-2020-303/2020टीसी
लखनऊ दिनांक: 31 मई, 2020

कार्यालय ज्ञाप

विषय:- सरकारी कार्यालयों में कोरोना वायरस (कोविड-19) के सम्बन्ध में कार्य की व्यवस्था ।

उत्तर प्रदेश में कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए कार्यालयों को खोले जाने के सम्बन्ध में पूर्व आदेश सं0 303/सा-का-4-2020 दिनांक 20 मार्च,2020, सं0 314/सा-का-4-2020 दिनांक 17अप्रैल,2020 एवं संख्या 362/सामान्य-का-4-2020-303/2020 टीसी दिनांक 23 मई, 2020 के अनुक्रम में निम्नवत दिशा निर्देश निर्गत किए जा रहे हैं-

1- प्रदेश के सभी कार्यालय 100 प्रतिशत कार्मिकों की उपस्थिति के साथ खुलेंगें, किन्तु संक्रमण की रोकथाम के दृष्टिगत कार्यालयों में भीड़भाड़ न हो इस हेतु समस्त कार्यालय स्टॉफ को तीन पालियों में विभाजित करते हुये बुलाया जाएगा। तीनों पालियां निम्नानुसार होंगी:-

प्रथम पाली- प्रात: 9:00 बजे से सांय 5:00 बजे तक
द्वितीय पाली- प्रात: 10:00 बजे से सांय 6:00 बजे तक
तृतीय पाली- प्रात: 11:00 बजे से सांय 7:00 बजे तक

कार्यालयों में सैनिटाइजेशन, फेसमास्क, फेसकवर, सोशल डिस्टैन्सिंग एवं अन्य सुरक्षात्मक उपायों का पूरा ध्यान रखा जाए। प्रत्येक कर्मचारी अपने मोबाइल में यथासम्भव आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड कर उसका उपयोग करेंगे।

2- अधीनस्थ कार्यालयों, स्थानीय निकायों, निगमों आदि के लिये भी इसी प्रकार की व्यवस्था की जाए।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है ,अत :इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

3- यह दिशा निर्देश उन कर्मचारियों पर लागू नहीं होगें जो ऐसी आकस्मिक एवं आवश्यक सेवाओं से जुड़े हैं तथा कोविड-19 की रोकथाम में प्रत्यक्ष भूमिका अदा कर रहे हैं।

4- संक्रमण से प्रभावित क्षेत्रों (हॉट स्पॉट एरियाज) में कार्यालयों को बंद किए जाने के सम्बन्ध में जिला प्रशासन के स्तर से पृथक से निर्णय लिया जाएगा।

इन निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

राजेन्द्र कुमार तिवारी
मुख्य सचिव।

संख्या-10/2020/382(1)सा0-का-4-2020 तददिनांक।

प्रतिलिपि:निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- समस्त अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, सचिव उत्तर प्रदेश शासन।
2- समस्त विभागाध्यक्ष / कार्यालयाध्यक्ष उत्तर प्रदेश ।
3- निदेशक सूचना विभाग उ0प्र0 लखनऊ ।

आज्ञा से,

मुकुल सिंहल
अपर मुख्य सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है ,अत :इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।